(वाद संख्या–3783/4/20/2020)

04.01.2022

परिवादी, रंजीत रमाणी, अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, बी0पी0एल0 कार्डधारी, परिवादी, रंजीत रमाणी के पुत्र, रघुवंश कुमार, जो मानसिक रोग से ग्रसित है, को सरकारी खर्च पर उसे अच्छे शिक्षण संस्थान में शिक्षा दिलाये जाने व उसके समुचित चिकित्सा से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सिंहेश्वर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा व असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवेदनानुसार ''स्थलीय जांच के क्रम में परिवादी द्वारा बताया गया कि उसका पुत्र, रघुवंश कुमार, भागकर दिल्ली चला गया है जो वर्त्तमान में सलाम बालक ट्रस्ट, नई दिल्ली में रह रहा है। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवेदनानुसार यदि परिवादी अपने पुत्र का निःशुल्क ईलाज कराना चाहते हैं तो उनके पुत्र को मानसिक आरोग्य संस्थान, कोईलवर, भोजपुर में ईलाज हेतु रेफर कर दिया जाएगा।''

अब, जबकि परिवादी का मानसिक रोग से ग्रसित पुत्र, रघुवंश कुमार, सलाम बालक ट्रस्ट, नई दिल्ली में रह रहा है तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निःशुल्क ईलाज हेतु मानसिक आरोग्य संस्थान, कोईलवर, भोजपुर में रेफर किये जाने का आश्वासन दिया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, मधुपुरा के प्रतिवेदन (पृ0–24–20/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>